रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 556] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 1987/कार्तिक 13, 1909
No. 556] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 1937/KARTIKA 13, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1987

अधिसूचना

धन-कर

का.आ. 973(अ) :—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन-कर नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम धन-कर (संशोधन) नियम, 1957 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. धन-कर नियम, 1957 के नियम 3क में,—

(1) उपनियम (3) में "10 लाख रु." और "3 लाख रु.", अंकों और शब्दों के स्थान पर, जहां पर भी इनका प्रयोग किया गया है, क्रमशः "20 लाख रु." और "5 लाख रु." अंक और शब्द रखे जायेंगे।

(2) उपनियम 4 में, "जिला मूल्यांकन अधिकारी के पास 15 दिसम्बर, 1976 को, जो धन-कर (चौथा संशोधन) नियम, 1976 के प्रारंभ की तारीख है, संचित सभी निर्देश जिला मूल्यांकन अधिकारी उपनियम (3) के खण्ड (ii) में निर्दिष्ट मूल्यांकन अधिकारी को अंतरित कर देगा यदि धारा 14 या धारा 15 के अधीन निर्धारिती द्वारा दी गई विवरणी में घोषित आस्ति का मूल्य 10 लाख रु. से अधिक नहीं है, या" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर

"यथास्थिति जिला मूल्यांकन अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी, सहायक मूल्यांकन अधिकारी के पास 4 नवम्बर, 1987 को, जो धन-कर (संशोधन) नियम, 1987 के प्रारंभ की तारीख है, लंबित निर्देश—

(1) जिला मूल्यांकन अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी को अंतरित करेगा, यदि धारा 14 या धारा 15 के अधीन निर्धारिती द्वारा दी गई विवरणी में घोषित आस्ति का मूल्य 20 लाख रु. से अधिक नहीं है,

(2) मूल्यांकन अधिकारी निर्देश—

(क) जिला मूल्यांकन अधिकारी को अंतरित करेगा, यदि धारा 14 या धारा 15 के अधीन निर्धारिती द्वारा दी गई विवरणी में घोषित आस्ति का मूल्य 20 लाख रु. से अधिक है,

(ख) सहायक मूल्यांकन अधिकारी को अंतरित करेगा, यदि धारा 14 या धारा 15 के अधीन निर्धारिती द्वारा दी गई विवरणी में घोषित आस्ति का मूल्य 5 लाख रु. से अधिक नहीं है,

(3) सहायक मूल्यांकन अधिकारी निर्देश—

(क) जिला मूल्यांकन अधिकारी को अंतरित करेगा, यदि धारा 14 या धारा 15 के अधीन दी गई विवरणी में घोषित आस्ति का मूल्य 20 लाख रु. से अधिक है,

(ख) मूल्यांकन अधिकारी को अंतरित करेगा, यदि धारा 14 या धारा 15 के अधीन निर्धारिती द्वारा दी गई विवरणी में घोषित आस्ति का मूल्य 5 लाख रु. से अधिक है किन्तु 20 लाख रु. से अधिक नहीं है,

या" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जायेंगे।

3. उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जायेगा :—

"(5) उपनियम (3) और (4) के प्रयोजनों के लिये, उसमें निर्दिष्ट आस्तियों का मूल्य पूर्ण आस्ति को समझा जायेगा चाहे निर्धारिती उसका एकल स्वामी हो या संयुक्त स्वामी।"

[सं. 7603/एफ.सं. 143/2/87-टीपीएल]

के. सरकार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 4th November, 1987

NOTIFICATION

WEALTH-TAX

S.O. 973(E).—In exercise of the powers conferred by section 46 of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Wealth-tax Rules, 1957, namely :—

1. (1) These rules may be called the Wealth-tax (Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 3A of the Wealth-tax Rules, 1957—

(1) in sub-rule (3), for the letters, figures and word "Rs. 10 lakhs" and "Rs. 2 lakhs", wherever they occur, the letters, figures and word "Rs. 20 lakhs" and "Rs. 5 lakhs" shall, respectively, be substituted;

((2) in sub-rule (4), for the figures, letters, words and brackets "the District Valuation Officer is pending with him on the 15th day of December, 1976, being the date of commencement of the Wealth-tax (Fourth Amendment) Rules, 1976, the District Valuation Officer shall transfer the reference to the Valuation Officer referred to in clause (ii) of sub-rule (3) if the value of the asset as declared in the return made by the assessee under section 14 or section 15 does not exceed Rs. 10 lakhs, or", the figures, letters, words and brackets "the District Valuation Officer, the Valuation Officer" the Assistant Valuation Officer, as the case may be, is pending with him on the 4th day of November, 1987, being the date of commencement of the Wealth-tax (Amendment) Rules, 1987—

(i) the District Valuation Officer shall transfer the reference to the Valuation Officer, if the value of the asset as declared in the return made by the assessee under section 14 or section 15 does not exceed Rs. 20 lakhs,

(ii) the Valuation Officer shall transfer the reference to—

(a) the District Valuation Officer, if the value of the asset as declared in the return made by the assessee under section 14 or section 15 exceeds Rs. 20 lakhs,

(b) the Assistant Valuation Officer, if the value of the asset as declared in the return made by the assessee under section 14 or section 15 does not exceed Rs. 5 lakhs,

(iii) the Assistant Valuation Office shall transfer the reference to—

(a) the District Valuation Officer, if the value of the asset as declared in the return made by the assessee under section 14 or section 15 exceeds Rs. 20 lakhs,

(b) the Valuation Officer, if the value of the asset as declared in the return made by the assessee under section 14 or section 15 exceeds Rs. 5 lakhs but does not exceed Rs. 20 lakhs,

or," shall be substituted;

(3) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted :—

"(5) For the purposes of the sub-rules (3) and (4), the value of the assets referred to therein shall be in respect of the asset as a whole, whether owned by the assessee individually or jointly.".

[No. 7608|F. No. 143|2|87-TPL]

K. SARKAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1987